Confidentiality – it’s your right (Hindi version)

गोपनीयता - यह आपका अधिकार है

NHS (National Health Service) NHS (रा ीय वा य सेवा) आपक निजी वा य जानकार क र ा कैसे करती है

सं करण 4
अ ैल 2009 म तैयार कया गया
पुनर ण तिथि फ़रवर 2012

Data Protection Act 1998 (डेटा सुर ा कानून 1998) के अधीन, आपको यह जानने का अधिकार है क आपके बारे म निजी जानकार कसके पास है। इस य या संगठन को data controller (डेटा नियं क) कहते ह। NHS म यह डेटा नियं क आम तौर पर आपका थानीय NHS बोड होता है या आपक GP surgery होती है।

यह पु तका कसके लिए है?

- यह पु तका ऐसे कसी भी य के लिए है, जो कॉटलड म National Health Service (NHS) का उपयोग करता है।
- ब च और 16 साल से कम उ के युवा लोग के लिए ‘**गोपनीयता – आपके अधिकार** ’ नामक इस पु तका का एक अलग सं करण भी है। इसक ति कहां से ा कर यह जानने के लिए पृ 8 देख।

यह पु तका कस बारे म है?

यह आपको बताती है:

- आपक निजी वा य जानकार या होती है
- NHS इस जानकार को गोपनीय कैसे रखती है
- इस जानकार का उपयोग कैसे कया जाता है
- यह जानकार कसके साथ साझा क जाती है और य , और
- आपके अधिकार या ह।

यह पु तका कसलिए तैयार क गई है?

NHS के लिए यह ज़ र है क वह आपके वा य क निजी जानकार को गोपनीय रखे। यह आपका अधिकार है। इस पु तका म बताया गया है क NHS इसे कैसे करती है।

मेर निजी वा य जानकार या है?

यह आपक पहचान बताने वाली जानकार होती है। इसम आपका नाम, पता, ज म-तिथि, और पो टकोड जैसी बात शामिल होती ह। उदाहरण के लिए, यह नि नलि खत से जुड हो सकती है:

- आपके ारा ा कसी देखभाल और इलाज के बारे म जानकार
- आपके वा य और जीवन-शैली के बारे म जानकार , और
- आपके ारा करवाए गए पर ण के प रणाम।

मेर निजी वा य जानकार कैसे और कहां रखी जाती है?

यह रकाड म रखी जाती है। रकाड को कागज पर लिखा जा सकता है या कं यूटर म दज कया जा सकता है, या दोन ह प म रखा जा सकता है। रकाड को NHS के अलग-अलग ह स म सुर त ढंग से रखा जाता है।

- आपक GP surgery के पास आपका कोई रकाड होता है।
- य द आपका GP आपको कसी अ पताल म भेजता है तो वह अ पताल वहां पर कोई रकाड रखेगा।
- रकाड अ य थान पर भी रखे जा सकते ह, जैसे आपक डटल सजर म या उस लनिक म जहां आप थे।

NHS आपक अधिक से अधिक निजी वा य क जानकार को कं यूटर म दज कर रह है। अंततः आपके सभी रकाड को कं यूटर म रखा जाएगा। इससे NHS टाफ के लिए आपके बारे म जानकार साझा करना अधिक आसान हो जाएगा ता क आपको जस इलाज क ज रत हो उसे आप करा सक, चाहे आप कह भी ह ।

आपका इले ानिक (कं यूटर) रकाड सुर त ढंग से रखा जाएगा। आपके रकाड को सिफ आपक देखभाल करने वाला NHS का टाफ ह देख सकेगा। और यह जांचना संभव होगा क आपके इले ॉनिक रकाड को कसने देखा है।

आपक Emergency Care Summary (आपातकालीन देखभाल का सारांश)

 कॉटलड म अधिकांश मर ज को अब Emergency Care Summary   ा   है। यह आपके   वा   य के बारे म बुनियाद जानकार   होती है जो   टाफ के लिए तब मददगार हो सकती है जब आपक GP surgery बंद हो, या जब आप accident and emergency (A&E) (दुघटना तथा आपात   थति) वभाग म जाएं और आपको अ याव यक चि क सीय देखभाल क   ज   रत हो। इससे आपक देखभाल करनेवाला NHS   टाफ आपके   वा   य के बारे म मह वपूण जानकार   ा   कर सकता है, भले ह वह आपक GP surgery से संपक न कर पाए।

आपक Emergency Care Summary को   टाफ के   कसी सद   य   ारा देखे जाने से पहले वे सामा यतः आपक अनुमति मांगगे। य द आप इतने अ   व   थ ह   क अनुमति नह   दे सकते तो हो सकता है   क आपको सव   म संभव देखभाल   दान करने के लिए आपक   सहमति के   बना ह   उ ह आपक   Emergency Care Summary आपको पढ़कर सुनानी पड़े।

अधिक जानकार के लिए, **'Your Emergency Care Summary – What does it mean for you?'** पु   तका देख। इसक   ति आप अपनी GP surgery से, NHS Helpline (NHS हे पलाइन) नं. 0800 22 44 88 पर फोन करके या इंटरेनट पर (www.hris.org.uk) पर   ा   कर सकते ह।

NHS मेरे   वा   य क निजी जानकार को   कस तरह से गोपनीय रखती है?

- आपके बारे म जानकार को गोपनीय बनाए रखना NHS के सभी   टाफ सद   य का कानूनी दायि व है।
- NHS आपके निजी   वा   य क   जानकार को सुर   त ढंग से रखती है।
- NHS के भीतर या दूसरे संगठन से सिफ   ासंगिक जानकार ह साझा क जाती है। हम इस पु   तका म आगे बताएंगे   क जानकार कब और   य साझा क जाती है।
- NHS   कसी संगठन, जैसे बेनि फ   स एजसिय , मालिक या मी डया को आपक अनुमति के   बना आपके बारे म जानकार नह देगी।

मेरे   वा   य क निजी जानकार का उपयोग कैसे   कया जाता है?

NHS   टाफ आपक जानकार का उपयोग आपके लिए ज   र देखभाल और उपचार   दान करने के लिए करती है। वे आपक देखभाल म लगे NHS के अ   य   टाफ के साथ आपके बारे म   ासंगिक जानकार को साझा करगे। इससे आपको देखभाल अधिक सुर   ा, सरलता और शी   ता से   दान क   जा सकती है।
उदाहरण के लिए, जानकार दूसर के साथ तब साझा क जाती है जब:

- आपका GP आपको   कसी अ   पताल म भेजता है
- आपको एक अ   पताल से दूसरे अ   पताल म भेजा जाता है
- आपको घर पर सहायता क ज   रत पड़ने पर, जैसे   कसी ड   ट नस   ारा   व ज़ट करने पर, या
- NHS 24 आपको   कसी GP या NHS के   कसी दूसरे ह   से म भेजती है।

य द आप अपनी जानकार को साझा   कए जाने के बारे म चिंतित ह, तो पृ   5 पर आपका जानने का अधिकार' देख।

मेरे वा य क जानकार का NHS और कस प म उपयोग करता है?

NHS आपके वा य के बारे म ासंगिक जानकार का उपयोग NHS सेवाओं और जनता के वा य को सुधारने म मदद करने के लिए करती है। उदाहरण के लिए NHS इसका उपयोग नि नलि खत के लिए कर सकती है:

- यह पता लगाने के लिए क कोई खास बीमार या रोग कतने लोग को है
- यह देखने के लिए क कोई इलाज कतना सुर त और कारगर है, जैसे- लू का ट काकरण
- यह जांच करने के लिए क NHS अ छ सेवा दान कर रहा है
- यह योजना बनाने के लिए क कतने ब तर , वाड और टाफ क ज रत है
- व ाथिय और टाफ को शि त करने के लिए
- यह जांच करने के लिए क NHS सावजनिक धन को सह ढंग से खच कर रहा है, और
- अनुसंधान के लिए।

आपके बारे म जानकार का उपयोग करते समय जहां भी संभव होता है, आपका नाम, पता और आपक पहचान बताने वाली अ य जानकार हटा द जाती है। NHS कभी-कभी ऐसी जानकार का उपयोग करती है, जो आपक पहचान बताती है। य द वे ऐसा करते ह तो आम तौर पर वे आपको बताएंगे क आपक जानकार का उपयोग कैसे और कस लिए कया जाएगा। य द वे अ यापन और अनुसंधान के लिए ऐसी जानकार का उपयोग करना चाहते ह जो आपक पहचान बताती हो, तो उ ह पहले आपक अनुमति लेनी चा हए।

य द आप यह नह चाहते ह क NHS जन वा य और NHS सेवाओं म सुधार के लिए आपक जानकार का उपयोग करे तो आप आप कर सकते ह। देख पृ 5.

मेरे वा य क निजी जानकार को NHS से बाहर कब साझा कया जा सकता है?

आपके वा य क निजी जानकार उन लोग को द जा सकती है ज ह आपके वा य के बारे म ासंगिक जानकार मालूम होना ज र है - जैसे कोई देखभाल करने वाला, कोई घरेलू मददगार, या कोई सामा जक कायकता। आम तौर पर यह उ ह तभी द जाएगी य द:

- आपने सहमति द है; और
- उ ह आपक देखभाल और इलाज करने के लिए इसक ज रत है।

आम तौर पर NHS आपक अनुमति के बना आपके वा य क निजी जानकार को कसी र तेदार, देखभाल करने वाले या मि जैसे कसी य के साथ साझा नह करेगी ज ह इसक ज़ रत न हो। ले कन कुछ वशेष मामले होते ह।

- **य द आप ब चे ह,** और आपके चि क सक को लगता है क आप अपने वा य क देखभाल के बारे म निणय नह ले सकते ह, तो आपके लिए आपके माता- पता का दायि व निभाने वाले कसी य को आपके रकाड देखने और आपक देखभाल के बारे म वचार- वमश करने क अनुमति द जा सकती है।

16 वष से कम आयु वाले युवाओं के अधिकार के बारे म अधिक जानकार कहां मिल सकती है यह जानने के लिए पृ ठ 8 देख।

- **य द आप ऐसे वय क ह** जो अपने बारे म निणय लेने म समथ नह ह या अपने निणय को दूसर को बता नह सकते ह, तो कानून कसी य को आपके रकाड को देखने और आपक देखभाल के बारे म वचार- वमश करने क इजाजत दे सकता है, य द:
  - आपने उ ह welfare power of attorney (वे फेयर पावर ऑफ अटन) द हुई है,
  - या कसी यायालय ने उ ह welfare guardianship (वे फेयर गा जयनशिप) या welfare intervention order (वे फेयर इंटरवशन ऑडर) दया हुआ है।

ऐसे मामल म, जस य को आपके वा य क जानकार देखने क अनुमति द गई है वह:

- सिफ वह जानकार देख सकेगा जसक ज रत उसे आपके वा य क देखभाल के संबंध म आपक तरफ से खास निणय करने के लिए पड़ेगी, और
- उसे ऐसी जानकार ा नह होगी जसे टाफ महसूस करता है क वह आपके या दूसर के वा य के लिए हानिकारक होगी।

कभी-कभी कानून आपक अनुमति के बना भी NHS को आपके वा य क निजी जानकार देने क अनुमति देता है, उदाहरण के लिए कसी गंभीर अपराध क जांच के लिए या कसी ब चे क र ा करने के लिए।

मेरे अधिकार या ह?

गोपनीयता के आपके अधिकार के साथ ह , आपको नि नलि खत अधिकार भी ा ह।

आपका जानने का अधिकार

आपको यह जानने का अधिकार है क आपके वा य क निजी जानकार का उपयोग कैसे कया जाता है। आपक देखभाल कर रहे NHS टाफ के सद य से आप इस बारे म पूछ सकते ह।

आपका देखने का अधिकार

आपको अपने वा य रकाड देखने का अधिकार है, और य द आप चाह तो उसक ति ा करने का अधिकार है। जहां भी संभव होगा, आपको वा य रकाड आपक आव यकताओं को पूरा करने वाले व प म दए जाएंगे। '**अपने वा य के रकाड आप कैसे देख**' पु तका म बताया गया है क ऐसा कैसे कर। इसक ति कहां से ा कर सकते ह, यह जानने के लिए पृ 7-8 देख।

आपका जानने का अधिकार

य द आप नह चाहते क आपके वा य क जानकार का उपयोग कया जाए या इसे साझा कया जाए तो आपक देखभाल कर रहे NHS टाफ के सद य को बताएं। य द आप ऐसा करते ह तो NHS को, जहां संभव हो, आपक जानकार के उपयोग को सीमित करना होगा।

आपका शिकायत करने का अधिकार

य द आप इस बारे म संतु नह ं ह क आपके वा य क जानकार का कैसे उपयोग कया गया है या इसे कस तरह सुर त कया गया है, तो पहले आपक देखभाल कर रहे NHS टाफ से बात कर। य द इसके बाद भी आप संतु नह ं ह और आप शिकायत करना चाहते ह, तो '**NHS के वषय म शिकायत कैसे कर**' पु तका म बताया गया है क या कर। इसक ति कहां से ा कर, यह जाननेके लिए पृ 7-8 देख।

अधिक जानकार कैसे ा कर

- इस पु तका म कसी भी चीज के बारे म अधिक जानकार के लिए नि नलि खत से संपक कर:
    - आपक देखभाल करने वाले NHS टाफ के कसी सद य से
    - NHS Helpline से फोन नंबर **0800 22 44 88** पर (textphone (टे टफोन) 18001 0800 22 44 88) हे पलाइन पर क जाने वाली कॉल नि:शु क होती ह और यह कसी दुभा षया क सेवा दान कर सकती है,या
    - अपने थानीय citizens advice bureau (नाग रक सलाह यूरो) से (अपने नज़द क द तर का पता इंटरनेट पर **www.cas.org.uk** से लगाएं या अपनी थानीय फोन बुक म देख)।

- कानून का ब च और युवा लोग पर कैसा भाव पड़ता है इस वषय म और अधिक जानकार के लिए नि नलि खत कॉ टश ब च के कानून क से संपक कर:

  The Scottish Child Law Centre(कॉ)

  54 East Crosscauseway
  Edinburgh EH8 9HD
  सूचना हे पलाइन **0131 667 6333**
  18 से कम क आयु के लोग के लिए मु त फोन नंबर: **0800 328 8970**
  मु त टे ट पूछताछ सेवा: 'SCLC' के बाद अपना लिखकर **80800** पर टे ट भेज (उ र आपके मोबाइल फ़ोन पर भेजे जाएँगे)
  ईमेल **enquiries@sclc.org.uk**
  वेबसाइट**www.sclc.org.uk**

- य द आप अपने लिए निणय नह ं ले सकते या दूसरे लोग को अपना निणय बता नह ं सकते, तो इसे incapacity (असमथता) कहा जाता है। Adults with Incapacity (Scotland) Act के वषय म और अधिक जानकार के लिए संपक कर।

The Office of the Public Guardian (Scotland) (
(कॉटलड))

Hadrian House
Callendar Business Park
Callendar Road
Falkirk FK1 1XR

फोन **01324 678 300**

ईमेल **opg@scotcourts.gov.uk**

वेबसाइट **www.publicguardian-scotland.gov.uk**

- मानसिक रोग या वकार से पी ड़त लोग के अधिकार के वषय म और अधिक जानकार के लिए **Mental Welfare Commission for Scotland** (कॉटलड के लिए मानसिक क याण आयु) से संपक कर। वे आपको Adults with Incapacity Act (असमथता वाले वय क अधिनियम) के वषय म अधिक जानकार और सलाह दे सकते ह।

Mental Welfare Commission for Scotland
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh EH12 5HE

इस सेवा का उपयोग करने वाल और देखभाल करने वाल के लिए मु त फोन नंबरः **0800 389 6809**

ईमेल **enquiries@mwcscot.org.uk**

वेबसाइट **www.mwcscot.org.uk**

- आपक निजी जानकार का उपयोग और इसक सुर ा कैसे क जाती है, इसके बारे म और अधिक जानने के लिए, आप नीचे दए गए पते पर **Information Commissioner's Office** (सूचना कमि र के कायालय) से संपक कर सकते ह।

Information Commissioner's Office – Scotland
93–95 Hanover Street
Edinburgh EH2 1DJ

फोन **0131 301 5071**

ईमेल **Scotland@ico.gsi.gov.uk**

वेबसाइट **www.ico.gov.uk**

आप इस कायालय से इस बारे म शिकायत करने के लिए भी संपक कर सकते ह क NHS ने आपक जानकार का उपयोग और उसक सुर ा कैसे क है। ले कन यह आप तभी कर सकते ह जब आप पहले NHS क शिकायत या का उपयोग कर चुके ह ।

वा य अधिकार के बारे म जानकार

- **NHS और आप** (The NHS and You) म बताया गया है क कॉटलड म आप NHS से या आशा कर सकते ह, और NHS आपसे या आशा करती है।
- **NHS के वषय म शिकायत कैसे कर** (Making a complaint about the NHS) म बताया गया है क आप NHS क शिकायत या का उपयोग करते हुए शिकायत कस कार कर सकते ह।
- **अनुमति – यह आप का निणय है** (Consent – it's your decision) म बताया गया है क आपको अपने वा य क देखभाल और चि क सा के वषय म निणय लेने म कैसे शामिल होना चा हए।
- **अपने वा य के रकाड आप कैसे देख** (How to see your health records) म आपके इस अधिकार के बारे म बताया गया है क आप अपने वा य रकाड को कैसे देख सकते ह या उसक ति कैसे ा कर सकते ह।
- **वदेशी मर ज के लिए वा य देखभाल** (Health care for overseas visitors) यह एक त यप शृंखला है जसम बताया गया है क कॉटलड म ठहरने के दौरान वदेशी पयटक कौन-सी NHS सेवाएं ा करने क अपे ा कर सकते ह।

युवा लोग के लिए सूचना

- **अनुमति – आपका अधिकार** (Consent – your rights) म बताया गया है क आपको अपने वा य क देखभाल और चि क सा के वषय म निणय लेने म कैसे शामिल होना चा हए।
- **गोपनीयता – आपके अधिकार** (Confidentiality – your rights) म बताया गया है क NHS आपक निजी वा य जानकार को क र ा कैसे करती है।
- **अपनी बात कह! कहने का आपका अधिकार** (Have your say! Your right to be heard) म बताया गया है क अपना फ डबैक कस तरह द या NHS के बारे म शिकायत कैसे कर।

देखभाल करने वाल के लिए जानकार

- - (Caring and consent) म उस वय क के वा य क देखभाल के निणय म शामिल होने के आपके अधिकार के बारे म बताया गया है जसक देखभाल आप करते ह (मई 2009 से उपल ध)।

आप यह जानकार यहां से ा कर सकते ह:

- GP surgeries, अ पताल और उन दूसरे थान से जहां से आपको NHS देखभाल ा होती है
- NHS Helpline से **0800 22 44 88** पर (textphone (टे टफोन) 18001 0800 22 44 88)
- **www.hris.org.uk**
- अपने थानीय citizens advice bureau (नाग रक सलाह यूरो) से (इंटरनेट पर **www.cas.org.uk** से अपने नज़द क द तर का पता लगाएं या अपनी थानीय फोन बुक म देख)।

कृपया अपनी ट प णयां भेज!

हम जानना चाहते ह क आप इस पु तका के बारे म या सोचते ह।

कृपया अपनी ट प णयां भेज:

- HRIS, Consumer Focus Scotland, **FREEPOST GW5277**, Glasgow G1 3BR को डाक से
- हम **hris@scotconsumer.org.uk** पर ईमेल भेजकर
- हमार वेबसाइट **www.hris.org.uk** पर जाकर और 'contact us' लिंक पर लक करके, या
- हम **0141 226 5261** पर फोन करके।

हमार यह पूर कोशिश रह है क हम यह सुनि त कर क इस पु तका म द गई जानकार सह है। तथा प, यह पु तका केवल मागदशन के लिए है, इसलिए आप इसे कानून का पूरा कथन समझ कर इस पर निभर न कर। य द आप कानूनी कायवाह करने का वचार कर रहे ह, तो आपको कसी वक ल, citizen advice bureau या दूसर सलाह देने वाली एजसी से संपक करना चा हए।

इसे Health Rights Information Scotland ारा का शित कया गया है, जो Scottish Government Health Directorates के लिए, Consumer Focus Scotland क एक प रयोजना है।

यह जानकार कसी दूसर भाषा या व प म ा करने के लिए अपने थानीय NHS बोड को फोन कर। य द इसके लिए आपको सहायता क आव यकता है तो NHS helpline से 0800 22 44 88 पर संपक कर (textphone 18001 0800 22 44 88)।

www.hris.org.uk